

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
क्रमांक: प.8 (ड)(का.भा.)/डीएलबी/25/ 576

दिनांक: /3.02.2025

आदेश

विभागीय आदेश दिनांक 11.12.2024 द्वारा श्रीमती खातून सदस्य वार्ड सं. 18 को नगर पालिका नोहर के अध्यक्ष पद के कार्यभार हेतु 60 दिवस से अनाधिक कालावधि अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश, जो भी पूर्व हो तक के लिय अधिकृत किया गया था।

उक्त आदेश की निरंतरता में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50(1) (iv) (क) के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती खातून सदस्य वार्ड सं. 18 को नगर पालिका नोहर में अध्यक्ष के पद का कार्यभार 60 दिवस से अनाधिक कालावधि अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश, जो भी पूर्व हो तक के लिये दिया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(इन्द्रजीत सिंह)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव
क्रमांक: प.8 (ड)(का.आ.)/डीएलबी/25/ 577 – 586 दिनांक: 13.02.2025

- निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
- सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर/जिला कलक्टर हनुमानगढ़।
- निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज0 राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6(क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
- उप सचिव, राज्य निर्बाचन आयोग सचिवालय राज0 जयपुर।
- उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर।
- उपखण्ड अधिकारी, नोहर।
- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका नोहर।
- प्रोग्रामर (आई.टी. सैल), निदेशालय।
- सुरक्षित पत्रावली।

(सोमदत्त खाण्डपा)
सहायक विधि परामर्शी